



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**भारतनुं राजपत्र**

असाधारण  
**EXTRAORDINARY**  
असाधारण

भाग-८ खण्ड-१  
**PART VIII Section 1**  
भाग ८ विभाग-१

प्राधिकारसे प्रकाशित  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**  
प्राधिकारसे प्रकाशित

नं.-१ ] नई दिल्ली, सोमवार, १९ दिसम्बर, १९९४/२८ अग्रहायण, १९१६ ( शक ) [ खंड-१०  
No.-1] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 1994/28 AGRAHAYAN, 1916 (SAKA) [Vol-10  
अंक-१] नयी दिल्ली, सोमवार, १९ डिसेम्बर, १९९४/२८ अग्रहायण, १९१६ (शक) [वोल्यूम-१०]

इस भागमें भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिस की यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it  
may be filed as a separate compilation.

આ ભાગને અલગ પાના નંબર આપેલ છે, જેથી તે અલગ સંગ્રહ તરીકે ફાઇલ કરી શકાશે.

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

( विधायी विभाग )

नई दिल्ली, १९ दिसम्बर, १९९४/२८ अग्रहायण, १९१६ ( शक )

- ( 1 ) दि शिड्युल्ड कास्ट एन्ड शिड्युल्ड ट्राइब्स ( प्रिवेशन ऑफ अट्रोसीटीज़ ) एक्ट, १९८९ ( सन १९८९ का अधिनियम संख्यांक ३३ ),  
( २ ) दि हिन्दु मैरेज एक्ट, १९५५ ( सन १९५५ का अधिनियम संख्यांक २५ ), ( ३ ) दि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, १९८६ ( सन १९८६ का अधिनियम संख्यांक ५३ ), ( ४ ) दि प्रिवेशन आफ करप्शन एक्ट, १९८८ ( सन १९८८ का अधिनियम संख्यांक ४९ ) के निम्नलिखित गुजराती अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं और प्राधिकृत पाठ ( केन्द्रीय विधि ) अधिनियम, १९७३ ( सन १९७३ का ५० ) की धारा २ के खंड ( क ) के अधीन उसके गुजराती भाषा में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :-

अ. सा. गेज़ेट-भाग-८-२१८१-१

(Price Rs. 5.00)

